Need to drop existing criteria on size of agriculture land for determination of EWS category-laid

श्री संजय हरिभाऊ जाधव **(**परभणी**) :** आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है । पात्रता शर्तों में ₹8 लाख से कम वार्षिक पारिवारिक आय, 1000 वर्ग फीट से कम का आवास, और एक एकड़ से अधिक कृषि भूमि न होना शामिल है । कृषि भूमि की यह सीमा विशेषकर ग्रामीण किसानों के लिए अन्याय पूर्ण है । आज किसानों की आय भूमि से नहीं, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं, बढ़ती लागत, और फसल की कम कीमतों से प्रभावित होती है । कृषि अब लाभ का नहीं, बल्कि घाटे का व्यवसाय बन चुका है । यदि कोई किसान ₹8 लाख से कम आय रखता है और अन्य सभी मापदंडों को पूरा करता है, तो केवल भूमि की मात्रा के आधार पर उसे वंचित करना अनुचित है । सरकार से निवेदन है कि EWS आरक्षण में कृषि भूमि की सीमा को हटाया जाए, ताकि वास्तविक आर्थिक रूप से कमजोर किसान परिवार लाभ प्राप्त कर सकें । यह भी उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और महाराष्ट्र सरकार की 'लाड-प्यार योजना' जैसी योजनाएं किसानों की आर्थिक कमजोरियों को स्वीकार कर उन्हें राहत प्रदान कर रही हैं । ऐसे में EWS के संदर्भ में भी कृषि भूमि की शर्त को हटाना न्यायसंगत होगा ।